

दिनांक: 11-08-2020

शुद्धिपत्र

कर मामलों में सहायता एवं सेवा प्रदान करने हेतु कर सलाहकार फर्म की नियुक्ति के लिए अभिव्यक्ति की
अभिरूचि (ईओआई)
(प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर दोनों)

बैंक को उपर्युक्त ईओआई पर कई भावी बोलीदाताओं से अभ्यावेदन एवं प्रश्न प्राप्त हुए हैं। बैंक ने इसमें शामिल मुद्दों की जांच की है और निम्नानुसार निर्णय लिया:

1. पृष्ठ सं.17 – योग्यता पूर्व मानदंड सं.1

अभिव्यक्ति की अभिरूचि के खंड 3.12 के तहत, कार्य व सेवाओं आदि के कार्य-निष्पादन हेतु उप-संविदा की अनुमति नहीं है तथा एक कंपनी (पब्लिक लि./प्राइवेट लि.) कार्य-क्षेत्र परिसीमा में आने वाले अनिवार्य कर नहीं कर पायेगी, यथा उप-संविदा के बिना "सीए फॉर्म / एलएलपी फर्म द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले प्रमाण पत्र का निर्गमन", चूंकि यह कार्य सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ पंजीकृत फर्म द्वारा किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सूची से हटा दिया गया है।

अब, भारतीय सनदी लेखाकार के साथ पंजीकृत केवल सीए फर्म / एलएलपी फर्म अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।

2. पृष्ठ सं.17 – योग्यता पूर्व मानदंड सं.4:

"और" शब्द को "अथवा" के रूप में पढ़ें। तदनुसार, मानदंड निम्नानुसार होंगे:

"बोलीदाता को भारत में कम से कम 2 वर्ष पीएसबी/ एफआई / पीएसयू / अन्य सरकारी संगठनों हेतु कर सलाहकार के रूप में कार्य करना चाहिए।"

3. पृष्ठ सं.17 – योग्यता पूर्व मानदंड सं.5 तथा पृष्ठ सं.18 – योग्यता पूर्व मानदंड सं.6, शब्द "समूह कंपनी" को हटा दिया गया है।

4. पृष्ठ सं.18 – योग्यता पूर्व मानदंड सं.7 एवं 8, शब्द "कंपनी" को "फर्म" से बदल दिया गया है।

5. अनुलग्नक-1 – बोलीदाता की जानकारी:

- शब्द "कंपनी" को क्रम सं. 1 से हटा दिया गया है;
- शब्द "कंपनी का प्रकार" को "फर्म के प्रकार" के रूप में तथा शब्द "सरकारी/पीएसयू/पब्लिक लि./प्राइवेट लि." को क्रम सं. 3 से हटा दिया गया है;
- शब्द "कंपनी" को "फर्म/एलएलपी" द्वारा क्रम सं. 15 एवं 17 से हटा दिया गया;

6. जहाँ भी "कंपनी की मुहर" शब्द का उपयोग किया गया है, उसे "फर्म / एलएलपी की स्टाम्प" द्वारा बदल दिया गया;
7. उक्त ईओआई के लिए कंपनी को सूची से हटाने के कारण ईओआई दस्तावेजों में कोई अन्य परिवर्तन भावी बोलीदाताओं द्वारा उपयुक्त रूप से पढ़ा जाएगा।
8. पृष्ठ सं. 41 पर अनुबंध- VI- अनुबंध पूर्व प्रमाणिकता पैकट के अनुच्छेद 10 को छोड़ / हटा दिया गया है।
9. ईओआई जमा करने और ईओआई खोलने की अंतिम तिथि में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:

1. महत्वपूर्ण ईओआई विवरण	
ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि और समय	20.08.2020 6:00 अपराह्न
ईओआई बोली खोलने की तिथि और समय	25.08.2020 04:00 अपराह्न

###